रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022021-225329
CG-DL-E-22022021-225329

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 2021/फाल्गुन 3, 1942
No. 82] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 2021/PHALGUNA 3, 1942

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2021

भारतीय उपचर्या परिषद् {नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी (एनपीएम) कार्यक्रम, शुद्धिपत्र}, विनियम 2020

फा. सं. 11—1/2019—आईएनसी.—समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 16(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 6 जनवरी, 2021 को अधिसूचित विनियमों के आंशिक सुधार में, भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा –

लघु शीर्षक और प्रवर्तन

i. ये विनियम **भारतीय उपचर्या परिषद् {नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी (एनपीएम) कार्यक्रम, शुद्धिपत्र}, विनियम 2020** कहे जाएंगे।

ii. ये विनियम भारत के राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

दिनांक 6 जनवरी, 2021 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 4 में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:–

क्रमांक	विनियम संख्या	के लिए	पढ़ा जाए
1	7.3.1 (1)	नर्सिंग में स्नातक कार्यक्रम का संचालन करने वाले सरकारी (राजकीय/केंद्रीय/स्वायत्त) नर्सिंग शिक्षण संस्थान, जिनका प्रसूति एवं नवजात शिशु इकाइयों के साथ—साथ प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से युक्त अपना मूल अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल से संबद्ध हो।	नर्सिंग में स्नातक कार्यक्रम का संचालन करने वाले सरकारी (राजकीय/केंद्रीय/स्वायत्त) तथा अन्य गैर—सरकारी नर्सिंग शिक्षण संस्थान, जिनका प्रसूति एवं नवजात शिशु इकाइयों के साथ—साथ विनियम 7.3.4 में दी गई प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से युक्त अपना मूल अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल से संबद्ध हो। या

		या नर्सिंग में स्नातक कार्यक्रम का संचालन करने वाले अन्य गैर–सरकारी नर्सिंग शिक्षण संस्थान, जिनका प्रसूति एवं नवजात शिशु इकाइयों के साथ–साथ प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से युक्त अपना मूल अस्पताल हो।	विनियम 7.3.4 में दी गई नैदानिक सुविधाओं से युक्त सुपर स्पेशियलटी अस्पताल उपयुक्त होंगे। या नर्सिंग में स्नातक कार्यक्रम का संचालन करने वाले अन्य गैर–सरकारी नर्सिंग शिक्षण संस्थान, जिनका प्रसूति एवं नवजात शिशु इकाइयों के साथ–साथ प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से युक्त अपना मूल अस्पताल हो।
2	7.3.1 (2)	पात्र संस्थान को नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए संबंधित एसएनआरसी से संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त करनी होगी, जोकि एक अनिवार्य अहर्ता है।	पात्र संस्थान को नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए संबंधित राज्य उपचर्या परिषद् तथा राज्य उपचर्या बोर्ड से संबंधित शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त करनी होगी, जोकि एक अनिवार्य अहर्ता है।
3	7.3.1 (3)	कार्यक्रम का संचालन करने की अनुमति जारी रखने के लिए परिषद् द्वारा लगातार दो वर्ष तक निरीक्षण किया जाएगा।	परिषद् द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों/प्रस्तावों की प्राप्ति के पश्चात मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का आईएनसी अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत बनाये गये विनियमों के अनुरूप अध्यापन संकाय और नैदानिक एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में उपयुक्तता का आंकलन करने के लिये अधिनियम की धारा 13 के तहत वैधानिक निरीक्षण किया जायेगा।
4	7.3.2 (1)	**एनएमपी संकाय** – प्रसूति एवं स्त्री रोग/बाल रोग/सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग विशेषता के साथ एम.एससी. (नर्सिंग) या एनपीएम प्रशिक्षक प्रशिक्षण के साथ बी.एससी. (नर्सिंग)	**एनपीएम संकाय** – प्रसूति एवं स्त्री रोग/बाल रोग/सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग विशेषता के साथ एम.एससी. (नर्सिंग) या एनपीएम प्रशिक्षक प्रशिक्षण के साथ बी.एससी. (नर्सिंग)
5	10. (अ)	शीर्षक – नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी (एनपीएम)	शीर्षक – नर्स प्रेक्टिशनर इन मिडवाइफरी (एनपीएम) पोस्ट बेसिक डिप्लोमा कार्यक्रम

डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन–III/4/असा./516/2020–21]

INDIAN NURSING COUNCIL

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2021

Indian Nursing Council {Nurse Practitioner in Midwifery (NPM) Program, Corrigendum}, Regulations, 2020

F. No. 11-1/2019-INC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947) as amended from time to time and in partial modification of earlier Regulations dated 6th January, 2021, the Indian Nursing Council hereby makes the following amendments to the Regulation namely:—

Short title and commencement

i. These Regulations may be called the **Indian Nursing Council {Nurse Practitioner in Midwifery (NPM) Program, Corrigendum}, Regulations, 2020.**

ii. These Regulations shall come into force from the date, the same is notified in the Gazette of India.

In the Gazette Notification No. 4 dated 6th January, 2021, the following changes are further effected:—

S.No.	Regulation No.	For	Read
1	7.3.1 (1)	The Government (State/Center/ Autonomous) nursing teaching institution offering degree programs in nursing having parent/affiliated Government Hospital facilities of maternity, and neonatal units along with primary, secondary and tertiary health care facilities. OR Other Non-Govt. nursing teaching institution offering degree programs in nursing having parent hospital facilities of maternity and neonatal units along with primary, secondary and tertiary health care facilities.	The Government (State/Center/Autonomous) and other Non-Government nursing teaching institution offering degree programs in nursing having parent and affiliated Government Hospital facilities of maternity, and neonatal units along with primary, secondary and tertiary health care facilities as given in 7.3.4. OR Super Specialty hospital having clinical facilities as given in 7.3.4 are eligible. OR Other Non-Govt. nursing teaching institution offering degree programs in nursing having parent hospital facilities of maternity and neonatal units along with primary, secondary and tertiary health care facilities.
2	7.3.1 (2)	The eligible institution shall get recognition from the concerned SNRC for starting the Nurse Practitioner in Midwifery program for the particular academic year, which is a mandatory requirement.	The eligible institution shall get recognition from the concerned State Nursing Council and State Nursing Board for starting the NPM program for the particular academic year, which is a mandatory requirement.
3	7.3.1 (3)	The Council will conduct inspection for two consecutive years for continuation of the permission to conduct the program.	The Council shall after the receipt of the above documents/proposal would then conduct statutory inspection of the recognized training nursing institution under Section 13 of the INC Act, 1947 in order to assess the suitability with regard to the availability of the teaching faculty, clinical and infrastructural facilities in conformity with Regulations framed under the provision of the INC Act, 1947.
4	7.3.2 (1)	**NMP Faculty:** M.Sc. Nursing with OBG/ Pediatrics/Community health nursing specialty or B.Sc. (Nursing) with NPM educator training.	**NPM Faculty**: M.Sc. Nursing with OBG/ Pediatrics/Community health nursing specialty or B.Sc. (Nursing) with NPM educator training.
5	10. (A)	Title – Nurse Practitioner in Midwifery (NPM)	Title – Nurse Practitioner in Midwifery (NPM) Post Basic Diploma Program.

Dr. T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./516/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.22 21:49:23 +05'30'